न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी का नाम : मुकेश कुमार कलाल, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 92/2016 (राजस्व अपील) दायर दिनांक 23.12.2016

श्री शंकरलाल पिता भागीरथ ब्राह्मण, निवासी करोली तहसील बड़ीसादड़ी जिला चित्तौड़गढ ।

.....अपीलान्ट

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार बड़ीसादड़ी तहसील बड़ीसादड़ी, जिला चित्तौड़गढ

.....रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश न्यायालय तहसीलदार बड़ीसादड़ी प्रकरण नं.574/2016 निर्णय दिनांक 08.12.2016

उपस्थितः— वकील अपीलान्टगण :— श्री छोगालाल जाट

वकील रेस्पोडेन्ट :— पेरोकार सरकार

निर्णय दिनांक 27.11.2019

उपरोक्त अनवान प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अभिभाषक अपीलान्ट ने एक अपील विरूद्ध निर्णय न्यायालय तहसीलदार बड़ीसादड़ी दिनांक 08.12.2016 प्रकरण संख्या 574/2016 अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत् इस न्यायालय में अपीलान्ट शंकरलाल पिता भागीरथ ब्राह्मण निवासी करोली तहसील बड़ीसादड़ी ने विरूद्ध रेस्पोडेन्ट सरकार जरिये तहसीलदार बड़ीसादड़ी जिला चित्तौड़गढ के प्रस्तुत की कि ग्राम मौजा करोली की आराजी नम्बर 789 रकबा 0.30 हैक्टर भूमि किस्म चारागाह पर सवंत् 2073 में अपीलान्ट ने अतिक्रमण कर पड़त व बाड़ा बना रखा है जिस पर अपीलान्ट ने पूर्व में भी मक्का की काश्त की है जिससे उसके विरूद्ध अतिक्रमण की कार्यवाही अमल में ली जाकर बेदखल किया जावें पटवार हल्का ने रिर्पोट प्रस्तुत की। प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 20.01.2016 को दर्ज कर तारीख पेशी 2.3.2016 को बेदखली के आदेश पारित किये गये जिसके विरूद्ध श्रीमान के न्यायालय में प्रथम अपील प्रस्तुत की जो अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय को प्रति प्रेषित की गयी। जिस पर अधिनस्थ विचारण न्यायालय ने बिना सुनवाई का समुचित अवसर दिये बेदखल किये जाने व

लगान का 50 गुना शास्ति आरोपित किये जाने का निर्णय एवं आदेश पारित कर दिया जो विधि अनुकुल नहीं होने से निरस्तनीय है।

पटवार हल्का द्वारा जो दस्तावेज प्रस्तुत किये गये उसके संबंध में अपीलान्ट को कोई जिरह करने का अवसर नहीं देते हुए केवल मात्र एक तरफा बयान के आधार पर कब्जा होना मानते हुए बेदखली व जुर्माने का निर्णय एवं आदेश पारित कर दिया जो अपने आप में अवैधानिक होकर निरस्त किये जाने योग्य है। आराजी नं. 789 बड़ा रकबा होकर पट्टी के रूप में है जो बागन नदी एवं खातेदारान की आराजियात के बीच में आता है, जिस पर गांव के कई खातेदारान का अपने अपने सर्वेलें में कब्जें कर रखे है। अपीलान्ट का अपने पूर्वजों के समय से कब्जा चला आ रहा है। जेा नियमन योग्य है । गांव वालों की शिकायत के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय में बेदखली का निर्णय एवं आदेश पारित कर दिया जो अपने आप में अवैधानिक होकर निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील बहक अपीलान्ट स्वीकार फरमाया जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय व आदेश दिनांक 08.12.2016 निरस्त फरमाया जाकर, विवादित आराजीयात को नियमन किये जाने का आदेष अपीलान्ट के नाम जारी किया जावें, अपीलान्ट ने निवेदन किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर, रेस्पोडेन्ट को सूचना पत्र दिनांक 18.1.2017 के जारी किये गये एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवाई गई जो इस न्यायालय को दिनांक 12.1.17 को प्राप्त हुई।

सूचना पत्र बाद तामिल प्राप्त। रेस्पोडेन्ट तहसीलदार बड़ीसादड़ी ने उपस्थित होकर जवाब दिनांक 18.1.2017 को प्रस्तुत किया। जवाब की प्रति वकील अपीलान्ट को दिलाई गई एवं प्रकरण बहस हेतु नियत किया गया।

प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित आये जिनकी बहस सुनी गई। अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी प्रस्तुत अपील में वर्णित तथ्यों को ही दोहराया तथा अपील अपीलान्ट स्वीकार करने का निवेदन किया।

वकील रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलान्ट द्वारा जो अपील प्रस्तुत की है एवं जो तथ्य बताये है वह अस्वीकार योग्य है क्योंकि रेस्पोडेन्ट तहसीलदार द्वारा पारित निर्णय आदेश भूमि खाता सरकार चारागाह में दर्ज होने से न्याय संगत है।

अपीलार्थी का यह कथन असत्य है कि मौजा करोली की आ0नं0 789 कुल रकबा 1.53 हैक्टर भूमि चारागाह के खाते में जमाबन्दी सम्वत् 2068–71 दर्ज रेकार्ड जिसकी अपीलार्थी शंकरलाल ने 0.20 हैक्टर भूमि पर अवैध अतिक्रमण किया हुआ था, जिसकी पटवार हल्का द्वारा धारा 91 अर्न्तगत रिर्पोट प्रस्तुत कीं चुकिं भूमि खाता सरकार चारागाह में दर्ज है एवं तहसीलदार ने भूमिधारी की हैसियत से भूमि से बेदखली एवं शास्ती आदेश पारित किये है जो न्याय पूर्ण एवं विधि सम्मत है।

श्रीमान के प्रकरण सं0 10/2016 निर्णय दिनांक 16.05.2016 के अनुसार अतिक्रमी (अपीलान्ट)को पुनः नोटिस जारी कर सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया एवं साक्ष्य दस्तावेंज प्रस्तुत करने का अवसर दिया रेस्पोडेन्ट (तहसीलदार)द्वारा उक्त अतिक्रमित भूमि का अतिक्रमी (अपीलान्ट) की उपस्थिति में मौका निरीक्षण किया गया, रिर्पोट पटवारी अनुसार चारागाह भूमि पर अतिक्रमी (अपीलान्ट) का अतिक्रमण पाया गया तथा अतिक्रमी ने भी अतिक्रमण होना स्वीकार किया। अतिक्रमी द्वारा सम्वत् 2072 फसल रबी में आराजी नं. 789 के रकबे 0.30 हैक्टर अतिक्रमण किया एवं संवत् 2073 फसल खरीफ में पुनः आराजी नं.789 के रकबे 0.30 हैक्टर पर अतिक्रमण की रिर्पोट पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत की गई चूंकि उक्त आराजी चारागाह की है। भूमि आराजी सं.789 रेकार्ड अनुसार खाता सरकार चारागाह में दर्ज होने से बेदखली के आदेश भूमिधारी द्वारा पारित करना न्यायपूर्ण है। प्रकरण नियमन योग्य नहीं है।

अतः अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्यायसंगत होने से अपील अपीलान्ट निरस्त फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय का बहाल रखा जावें ।

प्रकरण में उभय पक्ष की बहस एवं अधिनस्थ न्याायलय की मूल पत्रावली के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि तहसीलदार बड़ीसादड़ी द्वारा अर्न्तगत राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट 1956 की धारा 91 (राजकीय भूमि पर अतिक्रमण) प्रकरण संख्या 574/2016 में अपीलान्ट जो न्यायालय तहसीलदार के यहां विपक्षी है को विधिवत सूचना पत्र जारी किये गये है जो बाद तामिल प्राप्त हुए है। तहसीलदार बड़ीसादड़ी द्वारा प्रक्रियाधीन विधिसम्मत निर्णय किया है क्योंकि रेस्पोडेन्ट प्रकरण की भूमि का रेकार्डेड खातेदार है एवं अतिक्रमित भूमि चारागाह की है जो नियमन योग्य नहीं है। अतः आदेश अधिनस्थ न्यायालय ने जो पारित किया एवं लगान का 50 गुणा शास्ती आरोपित की नियमानुसार न्यायोचित प्रतीत

होती है। अतः अपील अपीलान्ट खारीज की जाती है। तहसीलदार बड़ीसादड़ी के निर्णय दिनांक 08.12.2016 को यथावत रखा जाता है। अतः अपील अपीलान्ट खारीज की जाकर न्यायालय तहसीलदार बड़ीसादड़ी का निर्णय यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 27.11.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखवाया गया।

(मुकेश कुमार कलाल)
अतिरिक्त कलक्टर,
(प्रशासन),चित्तौड़गढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Kumar
Date: 2020.03.06 12:15:50 IST
Reason: SelfAttested
Location: